

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 02890

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 3488

दिनांक 24/01/17



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या

पत्रावली संख्या

दिनांक

एतद्वारा ²⁰³⁷ प्रमाणित किया जाता है कि जी-35870 2003-2004

पं० समा नारायण

दूध शिक्षा सेवा समिति, ग्राम-अलीनगर, पो०-नाथनगर, जनपद-संतकबीरनगर को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक 24-01-2004 को दिनांक

24-01-2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

रूपरे की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

1100

जारी करने का दिनांक 06-02-2015

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

भारतीय नैऋत्याधिक

दस
रुपये

रु. 10



131 JUL 2019
सं. 1000000000

INDIA NON JUDICIAL

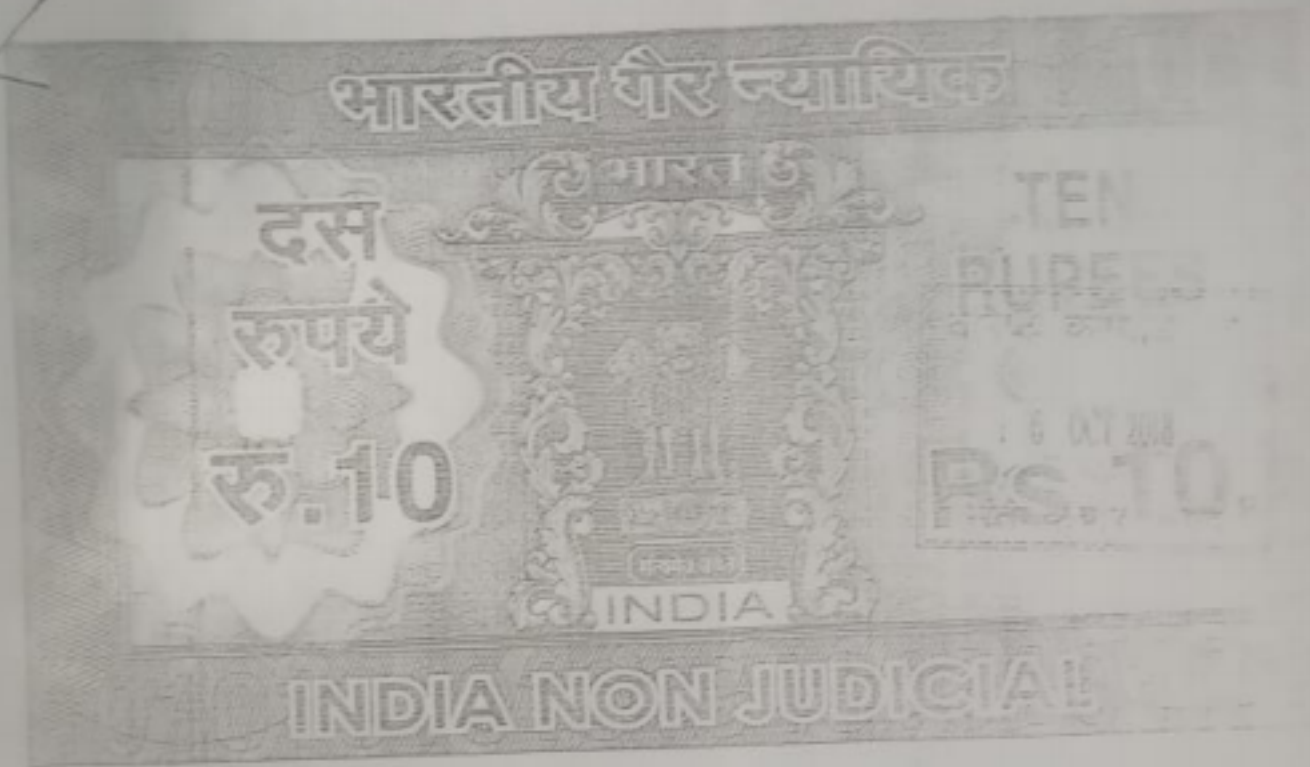
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

महाराष्ट्र राज्य सरकार
महाराष्ट्र राज्य सरकार
महाराष्ट्र राज्य सरकार
महाराष्ट्र राज्य सरकार
महाराष्ट्र राज्य सरकार



सहायक गवर्नर
महाराष्ट्र राज्य सरकार
महाराष्ट्र राज्य सरकार
महाराष्ट्र राज्य सरकार

महाराष्ट्र राज्य सरकार
महाराष्ट्र राज्य सरकार



जनता स्थान पेपर... यहाँ कच्चा सामान रहे सिर्फ सिर्फ हस्ताक्षर
 यहाँ मोहरा यहाँ मोहरा
 जिला: नं.
 तहसील: व. नं.



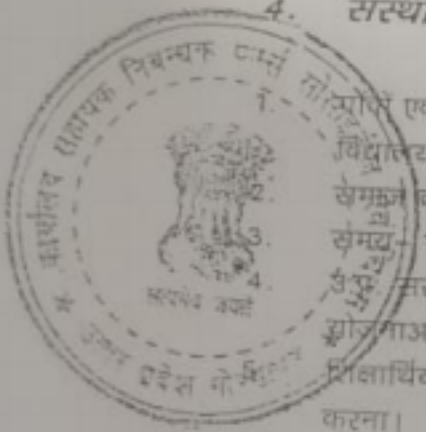
[Signature]
 सहायक रजिस्ट्रार
 फसल, वाणिज्य एवं विद्या
 29/10/18

[Signature]
 जिला अधिकारी

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :: पं.सभा नारायण दूबे शिक्षा सेवा समिति।
2. संस्था का पूरा पता :: ग्रा. अलीनगर पो. नाथनगर
जनपद- संतकबीरनगर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4. संस्था के उद्देश्य- संस्था (समिति) के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-



1. शहरी एवं शहरों में छात्र एवं छात्राओं के लिए प्राथमिक से महाविद्यालय स्तर के नये-नये विद्यालय की स्थापना करना।
2. समुच्चय की दीन हिनों की यथा सम्भव मदद करना।
3. समुच्चय- समय पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करना।
4. सरकार द्वारा स्वीकृत नियमानुसार शिक्षा की व्यवस्था करना, तथा तत्सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित करना।
5. शिक्षार्थियों में वर्तमान परम्परा के आधार पर शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
6. विद्यार्थियों को उपयोगात्मक, रचनात्मक, वैज्ञानिक, तथा अन्य प्रकार के विधि का ज्ञान कराना।
7. छात्रों के नैतिक शिक्षा का विकास एवं उनके धर्मनिर्पक्षता की भावना को जागृत करना।
8. अन्य विकास कार्यों को कार्यान्वित करना।
9. निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता, महिलाओं हेतु शिक्षा कढ़ाई, बुनाई, एवं सिलाई, आदि की व्यवस्था करना।
10. संस्था के विकास एवं छात्रों की उत्तम शैक्षिक व्यवस्था के निमित्त कोष संचय करना भी एक उद्देश्य होगा जो 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन की धारा 20 के अन्तर्गत होगी।
11. छात्रों को स्वावलम्बी होने हेतु कुटीर उद्योग सम्बन्धी विषयों का ज्ञान कराना एवं व्यवस्था करना जिससे छात्र जीवन निर्वाह कर सकें।
12. वृक्षारोपण का कार्य करवाना एवं खेलकूद का आयोजन करना।

Signature
सहायक निदेशक

21/6/2022

Signature
निदेशक

भीलवाडी

Signature
सहायक निदेशक
कर्म संसाधन एवं विस्तार
21/6/2022

40
Signature
निदेशक

13. (क) प्रदेश के विभिन्न जनपदां में हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी शिक्षा की विभिन्न स्तरों में प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज स्तर के नये-नये विद्यालय खोलना एवं विद्यार्थियों के अतिरिक्त विद्यालयों के प्रगति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त कर मेडिकल कालेज, इन्जी.कालेज, नर्सिंग ट्रेनिंग कालेज का संचालन करना।
- (ख) कच्चाई बुनाई, शिलाई-कढ़ाई, घास उद्योग, गृह उद्योग में नारी में ग्रामीण एवं शहरी एवं निराश्रित महिला एवं पुरुष बुनकरों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें तथा निर्बल एवं कमजोर वर्ग पीड़ित बुनकरों की सहायता करने का प्रयत्न करना तथा बुनकरों के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ज्ञान कराना।
14. ग्राम स्थापनात्मक जनित विकास हेतु विविध तकनीकी एवं वैज्ञानिक वैदिक विद्याओं पर शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, परिचर्चा आदि माध्यमों से क्रियाचार्यन करना।
15. जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, जैव तकनीक, देशी बीज, प्राकृतिक जल ससाधनों का संरक्षण व विकास हेतु कार्य योजना पर जन-सहभागी एवं समाज उपयोगी विकास का अनुवर्ती प्रयास करना। उन्नतशील कृषकों को फल, फूल सब्जी, मत्त पालन, मत्त-म टीशु कल्चर, राष्ट्रीय बागवानी सम्बन्धित जानकारी एवं सामग्री को स्वरोजगार जनक कार्य कराना एवं कराना।
16. गौ-आधारित ग्रामीण व नगरीय सतत विकास प्रबन्धन गोशाला एवं गौ उत्पादों का प्रति स्थापन, प्रसंस्करण व प्रदर्शन, प्रसार-प्रचार का कार्य करना।
17. बेहतर जीवन पद्धति, सर्वांगीण विकास व ग्राम स्वराज के लिए विभिन्न विभागा, संस्थाओं, समाज सेवियों के सहयोग एवं सानिध्य, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तकनीकी विकास का योजनाबद्ध कार्यक्रम एवं प्रयास करना।
18. आर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जन उपयोगी एवं समाज विकासोन्मुख साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं एवं प्रसार सम्बन्धी निःशुल्क जानकारी देना।
19. देश, प्रदेश की लोक कला, संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कार्य करना एवं समाज में जागरूकता लाने हेतु चलचित्रों के सहयोग से जानकारी देना।
20. बालक-बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय स्तर तक की नये-नये विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना जिससे प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना। पिछड़े क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विद्यालयों के प्रगति के लिए प्रयास करना। संगीत शिक्षा की व्यवस्था करना।
21. बालक एवं बालिकाओं के लिए बालगृह, बाल विकास केन्द्र, बाल कल्याण केन्द्र, आवागमन व्यवस्था संचालन करना।
22. कच्चा इण्टर कालेज एवं महाविद्यालय, मेडिकल कालेज व स्त्री शिक्षा एवं उसके संचालन करना।
23. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरुष एवं महिलाओं तथा बालक-बालिकाओं को साक्षर बनाना तथा निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अलावा निधन तथा बेरोजगार व्यक्ति अपने कुटीर उद्योग वधे स्थापित कर सकें। पीढ़े शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में सहयोग देना तथा प्रचार-प्रसार करना।
24. व्यक्तियों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना तथा संचालन करना।
25. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा समाज के निधन व्यक्तियों के सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाना एवं विधिवत संचालन करना। समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, पत्र पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना। महिला सम्मेलन बाल सम्मेलन, बाल विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन करना। जनता के लिए सामाजिक सांस्कृतिक, सांघातिक, ज्ञानप्रदक मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।



Ranjit
रंजित कुमार मिश्रा

21/01/21

महेश कुमार मिश्रा
मिनिश्री कानून

लीलावती

सहायक रेजिस्ट्रार
फर्म, मोसाइटीज एवं चिट्स
इ. ए. नगर (उ. प्र.)

महेश कुमार मिश्रा
मिनिश्री कानून



दिनांक
श्रीमन्महादेव विद्या

संन-सिन्धुमन्त्र
सिन्धुमन्त्र

संसाधन विकास

34. हरतकाल को क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को शिक्षाओं में सुवर्णों की प्रशिक्षण देना तथा हरतकाल से सम्बन्धित कार्यक्रमों को संचालित करना।
35. जनसंख्या नियंत्रण को बारे में जागरूकता को जगाना तथा प्रचार-प्रसार करना।
36. जीव-जन्तुओं को संरक्षण हेतु कार्य करना तथा उनकी लिए वन विहार की व्यवस्था करना व प्रचार करना, भी सेवा की मांगों को अनुसार जारी करना। जीव-जन्तु हेतु समस्त प्रकार के कार्य करना। जीव-जन्तु चतुर्वर्षी बोर्ड से जीव जन्तुओं की वन्यताओं के प्रचार को कार्य करना। जीव-जन्तु चतुर्वर्षी बोर्ड से जीव जन्तुओं की वन्यताओं के प्रचार को कार्य करना। जीव-जन्तु चतुर्वर्षी बोर्ड से जीव जन्तुओं की वन्यताओं के प्रचार को कार्य करना।
37. सुवर्णों व सुवर्णियों से समाज सेवा देश सेवा, ग्राम सेवा, स्वाचार प्रचार परामर्श, आत्म विश्वास, स्वात्मन तथा भाईभाई की भावना जगाना।
38. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की मुक्ति एवं गरीबी रेखा के नीचे लगे एवं सीमान्त क्षेत्रों, भूमिहीन मजदूरों एवं ग्रामीण हरतकालों को स्वतः रोजगार करना हेतु तकनीकी ज्ञान एवं जानकारी देने की कार्य करना।
39. सड़क सुरक्षा विभाग एवं यातायात के नियमों का पालन करना हेतु शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना। शिक्षित सड़क दुर्घटनाओं से रोक आ सकें तथा इससे सम्बन्धित जनोपयोगी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।
40. यौवावी छात्रों को पोशाक एवं सहायता हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करने में सहयोग देना।
41. अनाथ तथा विराहित बच्चों की निःशुल्क निवास, भोजन एवं शिक्षा की प्रभाव हेतु अनाथालय हर प्रकार की सहायता।
42. शीघ्र शिक्षा अल्पजिज्ञासुओं की शिक्षा को लिए आवश्यक प्रचार करना। ग्राम एवं तालुका स्तर पर भी आवश्यकानुसार प्रचारों की सुविधा को लिए हेतु ग्राम, तालुका स्तर पर कार्य करना। निराश्रित, अनाथ तथा अल्पजिज्ञासुओं की सहायता और सुविधा की व्यवस्था करना।
43. स्तनपान (ब्रेस्ट फीडिंग) के बारे में लोगों को जागरूक करना इससे सम्बन्धित विशेष सल्लाह देना, सुनिश्चित, सुवीधम, ब्रेस्ट बैंक से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का संचालन करना।
44. ग्राम स्वसहायता समिति द्वारा संचालित योजनाओं का संचालन करना।
45. एचएस सहायता समूह से सम्बन्धित प्रशिक्षण व रोजगार के कार्यक्रमों का समस्त जागरूकता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करना।
46. समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, कोटिच एवं राज्य समाज सहायक बोर्ड, जल कपाट, अनाई, मोराई, सिड्डी कार्यक्रम एवं महिला जागरूकता, स्वयंसेवा कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन द्वारा संचालन करना।
47. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा बनाई गयी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्घाटन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों जैसे उद्घाटनीकरण, सम्प्रीत स्वाद, नर्सरी, प्यूरीशनल माईम प्रदर्शना की निःशुल्क स्थापना करना एवं उनके बहाल देना।
48. भूज जल रोकने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को संचालित करके जनता को इसकी जानकारी दिलाना एवं प्रशिक्षणों को जागरूक करना।
49. सरकार से अनुमति लेकर तकनीकी शिक्षा हेतु आई टी आई, मिनी आई टी आई खोलना व प्रशिक्षण देकर रोजगार को अवसर उपलब्ध करना।
50. संस्था द्वारा शहीद लेनियों के कल्याण हेतु आर्थिक मदद व रहस्य मदद जगाना।
51. आम जनता को उद्योगों के लिए धर्मास सम्मुनिटी जल, मर्यादित मुद्राजल, महिला आश्रम अनाथालय, विद्यालय, बाघनालय, मुलाकालय, धर्मास, डिप्लोमेटरी व निःशुल्क रूडिबो राशि विभाग, शाई स्टै होम मूक मंदिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना एवं स्थापना करना।
52. जल संरक्षण, जल पात्र व जल सहायता से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वयंसेवा जल उपलब्ध करना।



सि.क. 1

डॉ. विमलेश्वर
डिप्टी सचिव

सचिव

21/11/25

रामेश कुमार मिश्रा

लीलावती

du

kin

सहायक रजिस्ट्रार
कम. मो. मु. टी. ए. व. वि. म.
मु. मो. मु. टी. ए. व. वि. म.

३. प्रबन्धकारिणी समिति की प्रदायिकाओं एवं उपर्युक्त की सामग्री को प्राप्त किया जाये और प्रत्येक को प्रदायिका समिति के द्वारा निम्नानुसार कार्यभार दिया गया:-

क्र.सं.	नाम-पिता का नाम	पता	वर्ग	संख्या
१.	श्रीमती मंजुवती देवी पुत्र श्री रामानन्दप्रसाद	सा. प्रदायिका की सादरी कार्यालय जयपुर राजस्थान	अधीन	मुद्रा-०१
२.	श्री राजनी कुमारी देवी पुत्र श्री रामानन्दप्रसाद	जयपुर	अधीन	मुद्रा-०१
३.	श्री देवी कुमारी चण्डिका पुत्र श्री राजनी चण्डिका	सा. व. पो. विष्णुनाथपुर जयपुर राजस्थान	अधीन	मुद्रा-०१
४.	श्री राजनी कुमारी देवी पुत्र श्री रामानन्दप्रसाद	सा. प्रदायिका की सादरी कार्यालय जयपुर राजस्थान	अधीन	मुद्रा-०१
५.	श्रीमती राजदेवी चण्डिका पुत्र श्री राजनी चण्डिका	सा. व. पो. विष्णुनाथपुर जयपुर राजस्थान	अधीन	मुद्रा-०१
६.	श्रीमती विजयदेवी चण्डिका पुत्र श्री राजनी चण्डिका	सा. व. पो. विष्णुनाथपुर जयपुर राजस्थान	अधीन	मुद्रा-०१
७.	श्री राजनी कुमारी देवी पुत्र श्री राजनी प्रसाद मिश्रा	सा. व. पो. मन्थली जयपुर राजस्थान	अधीन	मुद्रा-०१



४- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपर्युक्त समिति-पत्र एवं सत्य प्रमाणपत्रों को प्राप्त कर
संस्था का प्रति. एवं २१.१२.१९६० को अनुसार सौकर्यायक प्रति. करवाना भवता है-

दिनांक

Signature

Signature
हस्ताक्षर

Signature

Signature

द्वितीय कुमारी

राजनी देवी

राजनी देवी

सत्य - प्रमाणपत्र

सत्य - प्रमाणपत्र
सत्य - प्रमाणपत्र
सत्य - प्रमाणपत्र

Signature

सत्य - प्रमाणपत्र
सत्य - प्रमाणपत्र